

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8393/2025

1. Rajesh Gupta S/o Shri Radhey Shyam Gupta, Resident Of S33-S36, Shopping Center, Vivek Vihar, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan.
2. Smt. Chaitali Gupta W/o Rajesh Gupta, Resident Of S33-S36, Shopping Center, Vivek Vihar, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan.
3. Pravin Gupta S/o Rajesh Gupta, Resident Of S33-S36, Shopping Center, Vivek Vihar, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan.
4. Paras Gupta S/o Rajesh Gupta, Resident Of S33-S36, Shopping Center, Vivek Vihar, New Sanganer Road, Jaipur, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through P.P.
2. Rahul Saini S/o Shri Ramavtar Saini, Resident Of B-42, Balaji Vihar, 35 Todi Mod, Sikar Road, Jaipur , Director Sunxray Energy Private Limited At 525-526, 5 Th Floor, Mansarovar Plaza, Madhyam Marg, Mansarovar, P/s Shipra Path, Jaipur.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohd. Shakir Khan, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP Mr. Mahendra Singh, I.O., P.S.-Shipra Path, Jaipur (South)

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

27/04/2026

याची—अभियुक्तगण की ओर से यह याचिका अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत कर पुलिस थाना—शिप्रा पथ, जयपुर (दक्षिण) में

दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-222/2025 को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गई है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण के विरुद्ध मामला प्रमाणित नहीं माना गया है, एफ.आर. किता की जा चुकी है, इस संबंध में एफ.आर. न्यायालय में पेश नहीं करने के संबंध में संबंधित थानाधिकारी को तलब किया गया, जिन्होंने व्यक्तिशः उपस्थित होकर निवेदन किया कि नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के नियमित पदस्थापन नहीं होने से पेश नहीं किया जा सका था, अब आवश्यक रूप से दो-चार दिन में प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन दिया।

उपरोक्त आश्वासन तथा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट अभिलेख पर रखी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची-अभियुक्त द्वारा भविष्य में आवश्यकतानुसार नवीन याचिका पेश करने की स्वतंत्रता के साथ यह याचिका वापिस लिये जाने का निवेदन किया।

परिणामतः उपरोक्त स्वतंत्रता प्रदान करते हुए याची-अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह याचिका निस्तारित की जाती है तथा स्थगन आवेदन भी उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J